न्यायालय लैण्ड रेकर्ड ओफिसर (एस.डी.ओ.) सिरोही राज.
बईजलास पीठासीन अधिकारी नाथूसिंह राठौड़, आर.ए.एस.

रा.प्रा.पत्र संख्या 74/2018

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सिरोही		1– ग्रामदानी अध्यक्ष कृष्णगंज 2– ग्रामदानी सचिव कृष्णगंज मय ग्रामदानी सभा

उपस्थित :–
1–प्रार्थी स्टेट तहसीलदार, सिरोही
2– श्री कानाराम चौधरी (कलबी) अध्यक्ष, ग्रामदानी सभा कृष्णगंज

रा.प्रा.पत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत
वास्ते राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने

निर्णय दिनांक 20–7–2018

प्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार, सिरोही ने यह राजस्व प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 राज.भू.राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्व ग्रामदानी अध्यक्ष/सचिव ग्रामदानी सभा तेलपीखेडा तहसील व जिला सिरोही बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का इस न्यायालय मे दिनांक 10–7–2018 को पेश किया जिसका संक्षेप मे तथ्यात्मक विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने अपने उक्त प्रार्थनापत्र के माध्यम से यह निवेदन किया कि तहसील क्षैत्र सिरोही के पटवार मण्डल कृष्णगंज का राजस्व ग्राम कृष्णगंज राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 (महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त 1971) के द्वारा ग्रामदानी ग्राम घोषित किया हुआ है। इस अधिनियम के तहत उपरोक्त ग्राम के समस्त राजस्व कार्य, यथा नामान्तकरण दायर, व फैसल, भूमि आवंटन, पंजीयन, विक्रय, उत्तराधिकारी, दान, वसीयत, विभाजन इत्यादि ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा सम्पादित किये जाते है। राजस्व विभाग द्वारा मात्र गिरदावरी की जाती है। वर्णित ग्राम तेलपीखेडा की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार जमाबंदी चौसाला मे निम्न प्रकार खाते दर्ज है :–

कम संख्या	खाता संख्या	खातेदारो का विवरण	वि.वि.
1–	1	राजकीय	
2–	2 से 743	निजी खातेदारी भूमि	
3–	744	चारागाह	
4–	745	सार्वजनिक निर्माण विभाग	
5–	746	राजीव गांधी पाठशाला	
6–	747	वास्तान महादेव विधा मंदिर भवन ग्रामदान	
7–	748	अध्यक्ष, ग्रामसभा कालबेलिया समाज शमशान	
8–	749	कब्रिस्तान देह मुस्लिम	
9–	750	विधुत विभाग	

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Conti. Page No 2

10–	751	पुलिस चौकी
11–	752	वन विभाग

उक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार जमाबंदी खाता संख्या 2 से 743 तक के खाते" अध्यक्ष-ग्रामदानी कृष्णगंज " के नाम दर्ज होने चाहिये जबकि वर्तमान जमाबंदी मे उक्त खाते निजी खातेदारों के नाम पृथक पृथक दर्ज है। अधिनियम के तहत सभी खातो मे मात्र अध्यक्ष-ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज के नाम दर्ज होने चाहिये-ताकि लगान वसूली का खाता (ढालबांछ) सियाहा (केशबुक) व वसूली रसीद ग्रामदानी अध्यक्ष के नाम अंकित हो सकें । तथा राज्य सरकार द्वारा DILRMP प्रोग्राम अनुसार तहसील सिरोही (मॉडल तहसील) घोषित है। जिसमे सेग्रीगेशन कार्य चालू है। इसलिये ग्रामदानी नियमों के तहत एक खाता बनाकर शुद्व किया जाना अपेक्षित है। उक्त शुद्विकरण कार्य सेग्रीगेशन कार्य सम्पादित किये जाने हेतु आवश्यक है। उक्त राजस्व ग्राम मे निजी खातेदारों के खाता संख्या 2 से 743 तक मे एक खाता ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष के नाम दर्ज करने की शुद्वि किये जाने हेतु यह प्रार्थनापत्र श्रीमान के न्यायालय के श्रवणाधिकारी व क्षैत्राधिकार का मामला होने से पेश है।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत उक्त प्रार्थनापत्र व संलग्न फोर्म नंबर 3 मे वर्णित संलग्न -ग्राम तेलपीखेडा के राजस्व रेकर्ड जमाबंदी संवत 2067 से 2070 प्रतियों का गहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तो न्यायालय उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों से प्रथम दृष्टयॉ आश्वस्त होने से दिनांक 10–7–2018 को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थी को वास्ते जवाब पेश करने हेतु नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस अप्रार्थी को तामिल होकर इस न्यायालय मे प्राप्त होने से शामिल मिसल किया गया ।

विचारण प्रकरण की इस न्यायालय मे सुनवाई पेशी दिनांक 17–7–2018 को दौराने सुनवाई श्री कानाराम चौधरी (कलबी) अध्यक्ष-ग्रामदानी सभा कृष्णगंज ने हाजिर होकर न्यायालय मे अपने ब्यान कलमबद्व कराये जिन्हे शा.मि. किया गया ।

श्री कानाराम चौधरी (कलबी) अध्यक्ष-ग्रामदानी सभा कृष्णगंज ने अपने उक्त ब्यान मे कथन किया कि ग्राम कृष्णगंज राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 द्वारा ग्रामदानी गांव घोषित हुआ है एवं इस अधिनियम के अर्न्तगत समस्त राजस्व कार्य तथा नामान्तकरण दायर व फैसल-भूमि आवंटन पंजियन-विक्रय उत्तराधिकारी-दान-वसीयत -विभाजन-स्वेच्छिक बंटवाडा ईत्यादिइ ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा सम्पादित किये जाते है। ग्राम कृष्णगंज की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार चौसाला मे कॉलम संख्या 3 जिसमे राजस्थान सरकार दर्ज होता है उसके स्थान अध्यक्ष ग्रामसभा कृष्णगंज के नाम इन्द्राज होना चाहिये । अधिनियम के तहत सभी खाते खातेदार व गैरखातेदार जमाबंदी कृषकों के नाम पृथक पृथक दर्ज है जो सही है। चूंकि उक्त ग्रामदान गांव के किसानो को सरकारी बैंको से किसान केडिट कार्ड व कृषि उपकरण खरीदने हेतु योजनार्न्तगत अनुदान वगैरा उपलब्ध होते है व कृषि भूमि को सुधारने हेतु सरकारी योजनाऐ-तारबंदी-मेडबंदी-खाद बीज उर्वरक आदि उपलब्ध होते है। उक्त तमाम खाते अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा के नाम एक होना न्यायोचित नही है। गिरदावरी खरीफ-रबी -जायद राजस्व विभाग द्वारा की जाती है एवं ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज की विगोटी मांग स्थाई-व अस्थाई सम्मिलत होकर पूरा गांव का राजस्व विगोटी एक मुश्त राजस्व विभाग को तहसील स्तर पर पटवारी हल्का द्वारा चालान भरकर टी.आर.ए. से सत्यापित कर बैंक मे जमा कराया जाता है। हमारे यहॉ ढालबांछ रजिसटर विगोटी प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है व सियाहा का इन्द्राज जरिये रसीद बुक के मेण्टेन किया जाता है। ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष ग्रामदानी के नाम एक मुश्त खाता शुद्विकरण किया जाना नामुमकिन है व कृषकों के हित को देखते हुये अलग अलग जमाबंदी मे खाते सही है।

विचाराधीन प्रकरण मे दौराने सुनवाई प्रार्थी स्टेट की ओर से तहसीलदार -सिरोही व अप्रार्थी श्री कानाराम चौधरी (कलबी) अध्यक्ष-ग्रामदानी सभा कृष्णगंज द्वारा अंतिम बहस करने का निवेदन करने से न्यायहित मे अंतिम बहस सुनी गई ।

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

Cont. Page No3

प्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही ने अपनी बहस मे उक्त प्रार्थनापत्र मे अंकित तथ्यों की पुनरावृति करते हुये निवेदन किया कि तहसील क्षैत्र सिरोही के पटवार मण्डल कृष्णगंज का राजस्व ग्राम कृष्णगंज राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 (महामहिम राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 3 अगस्त 1971) के द्वारा ग्रामदानी ग्राम घोषित किया हुआ है। इस अधिनियम के तहत उपरोक्त ग्राम के समस्त राजस्व कार्य/यथा नामान्तकरण दायर/व फैसल/भूमि आवंटन/पंजीयन/विक्रय/उत्तराधिकारी/दान/वसीयत/विभाजन इत्यादि ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा सम्पादित किये जाते है। राजस्व विभाग द्वारा मात्र गिरदावरी की जाती है। वर्णित ग्राम कृष्णगंज की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार जमाबंदी चौसाला मे निम्न प्रकार खाते दर्ज है :–

क्रम संख्या	खाता संख्या	खातेदारो का विवरण	वि.वि.
1–	1	राजकीय	
2–	2 से 743	निजी खातेदारी भूमि	
3–	744	चारागाह	
4–	745	सार्वजनिक निर्माण विभाग	
5–	746	राजीव गांधी पाठशाला	
6–	747	वास्तान महादेव विधा मंदिर भवन ग्रामदान	
7–	748	अध्यक्ष/ग्रामसभा कालबेलिया समाज शमशान	
8–	749	कब्रिस्तान देह मुस्लिम	
9–	750	विधुत विभाग	
10–	751	पुलिस चौकी	
11–	752	वन विभाग	

उक्त बिन्दु संख्या 2 के अनुसार जमाबंदी खाता संख्या 2 से 150 तक व 152 से 154 तक के खाते" अध्यक्ष/ग्रामदानी कृष्णगंज " के नाम दर्ज होने चाहिये जबकि वर्तमान जमाबंदी मे उक्त खाते निजी खातेदारों के नाम पृथक पृथक दर्ज है। अधिनियम के तहत सभी खाता मे मात्र अध्यक्ष/ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज के नाम दर्ज होने चाहिये/ताकि लगान वसूली का खाता (ढालबांछ) सियाहा (केशबुक) व वसूली रसीद ग्रामदानी अध्यक्ष के नाम अंकित हो सकें । तथा राज्य सरकार द्वारा DILRMP प्रोग्राम अनुसार तहसील सिरोही (मॉडल तहसील) घोषित है। जिसमे सेग्रीगेशन कार्य चालू है। इसलिये ग्रामदानी नियमों के तहत एक खाता बनाकर शुद्व किया जाना अपेक्षित है। उक्त शुद्विकरण कार्य सेग्रीगेशन कार्य सम्पादित किये जाने हेतु आवश्यक है। उक्त राजस्व ग्राम मे निजी खातेदारों के खाता संख्या 2 से 743 तक मे एक खाता ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष के नाम दर्ज करने की शुद्वि किये जाने का निवेदन है।

अप्रार्थी अध्यक्ष/ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज ने अपनी बहस मे अपने उक्त ब्यान के कथनों की पुनरावृति करते हुये निवेदन किया कि ग्राम कृष्णगंज राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 द्वारा ग्रामदानी गांव घोषित हुआ है एवं इस अधिनियम के

लैण्ड रिकॉर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Cont. Page No 4

अर्न्तगत समस्त राजस्व कार्य तथा नामान्तकरण दायर व फैसल/भूमि आवंटन पंजियन /विक्रय उत्तराधिकारी/दान/वसीयत/विभाजन/स्वेच्छिक बंटवाडा ईत्यादिइ ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा सम्पादित किये जाते है। ग्राम कृष्णगंज की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार चौसाला मे कॉलम संख्या 3 जिसमे राजस्थान सरकार दर्ज होता है उसके स्थान अध्यक्ष ग्रामसभा कृष्णगंज के नाम इन्द्राज होना चाहिये । अधिनियम के तहत सभी खाते खातेदार व गैरखातेदार जमाबंदी कृषकों के नाम पृथक पृथक दर्ज है जो सही है। चूंकि उक्त ग्रामदान गांव के किसानो को सरकारी बैंको से किसान क्रेडिट कार्ड व कृषि उपकरण खरीदने हेतु योजनान्तर्गत अनुदान वगैरा उपलब्ध होते है व कृषि भूमि को सुधारने हेतु सरकारी योजनाऐ/तारबंदी/मेडबंदी/खाद बीज उर्वरक आदि उपलब्ध होते है। उक्त तमाम खाते अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा के नाम एक होना न्यायोचित नही है। गिरदावरी खरीफ/रबी/जायद राजस्व विभाग द्वारा की जाती है एवं ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज की विगोटी मांग स्थाई/व अस्थाई सम्मिलत होकर पूरा गांव का राजस्व विगोटी एक मुश्त राजस्व विभाग को तहसील स्तर पर पटवारी हल्का द्वारा चालान भरकर टी.आर.ए. से सत्यापित कर बैंक मे जमा कराया जाता है। हमारे यहॉ ढालबांछ रजिस्टर विगोटी प्रत्येक वर्ष तैयार किया जाता है व सियाहा का इन्द्राज जरिये रसीद बुक के मेण्टेन किया जाता है। ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष ग्रामदानी के नाम एक मुश्त खाता शुद्धिकरण किया जाना नामुमकिन है व कृषकों के हित को देखते हुये अलग अलग जमाबंदी मे खाते सही है।

हमने विचारण प्रकरण की पत्रावली के संलग्न उक्त प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट मय ग्रामदानी ग्राम कृष्णगंज की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 तक तथा अप्रार्थी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज के ब्यान का गंहनतापूर्वक अध्ययन कर उस पर मनन किया तथा प्रार्थी स्टेट तहसीलदार/सिरोही व अप्रार्थी सचिव ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज की अंतिम बहस पर भी गहनतापूर्वक मनन किया । सम्पूर्ण प्रकरण के विवेचन के उपरान्त निष्कर्षत्यात्मक स्थिति यह है कि तहसील क्षैत्र सिरोही के पटवार मण्डल कृष्णगंज के राजस्व ग्राम कृष्णगंज राजस्थान ग्रामदानी अधिनियम 1971 जो महामहिन राष्ट्रपति महोदय भारत सरकार की अनुमति दिनांक 3–8–1971 के द्वारा ग्रामदानी ग्राम घोषित है जिसके अनुसार समस्त राजस्व कार्य/नामान्तकरण/भूमि आवंटन /विक्रय/उत्तराधिकारी/दान/वसीयत/विभाजन सहित पंजीयन कार्य भी ग्रामदानी अध्यक्ष द्वारा किया जाता है राजस्व विभाग द्वारा गिरदावरी खरीफ/रबी/जायद की जाती है। काश्तकारों से लगान वसूली आदि भी ग्रामदानी अध्यक्ष द्वारा की जाती है। राजस्व विभाग मे उक्त भू राजस्व लगान/आदि एक चालान से जरिये राशि राजकोष मे जमा करवाई जाती है। ग्रामदान ग्रामसभा कृष्णगंज की जमाबंदी संवत 2067 से 2070 के अनुसार खाता नंबर 1 से लगातार 752 तक बने है जिसमे खाता संख्या 2 से 743 निजी खातेदारी भूमि अलग अलग खाते दर्शाये हुये है। जो कि उक्त ग्रामदानी के जमाबंदी मे अलग अलग होने चाहिये । राजस्व विभाग की जमाबंदी मे अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज के नाम का खाता होना चाहिये था । चूंकि ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा ही पंजियन किया जाकर बंटवाडा विक्रय रहन बक्षीस आदि का रेकर्ड मे अमल दरामद रेकर्ड की जांच करना तथा उनको निर्णित करना आदि राजस्व अधिकारियों की शक्तियॉ भी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज मे निहित कहै कृषि भूमि आवंटन नियम 1970 के प्रावधानों के तहत भूमि आवंटन की शक्तियॉ जो उपखण्ड अधिकारी मे निहित होती है उसका उपयोग भी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा द्वारा किया जाता है भूमि का हक त्याग सर्मपण धारा 55 आर.टी.एक्ट की शक्तियॉ भी अध्यक्ष ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज को है ऐसी स्थिति मे राज्य सरकार के निर्देशों अनुसार तथा ग्रामदानी नियमों के तहत एक खाता बनाकर शुद्व किया जाना आवश्यक व न्यायोचित है इसमे ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज को किसी प्रकार की राजस्व हानि भी नही है। अतः उपरोक्त सभी के आधार पर प्रार्थी स्टेट जरिये तहसीलदार/सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) का यह प्रार्थनापत्र अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956 के तहत विरूद्व अप्रार्थी बाबत राजस्व रेकर्ड मे दुरूस्ती करवाने का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है तथा तहसीलदार /सिरोही (भूमिधारी अधिकारी) को आदेश दिया जाता है कि तहसील क्षैत्र सिरोही के पटवार मण्डल कृष्णगंज के राजस्व ग्राम कृष्णगंज के जमाबंदी संवत 2067 से 2070

रेकार्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज०)

Cont. Page No 5

तक मे दर्ज खाता संख्या 2 से 743 निजी खातेदारी भूमि के स्थान पर ग्रामदानी नियमों के तहत अध्यक्ष/ग्रामदानी ग्रामसभा कृष्णगंज के नाम दर्ज कर जमाबंदी की शुद्धि की जायें । निर्णय सरे ईजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो ।

20/7/18

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

उपरोक्त निर्णय आज दिनांक 20–7–2018 को मेरे हस्ताक्षर/पदनाम व न्यायालय की गोल मुहर से जारी किया गया ।

20/7/18

लैण्ड रेकर्ड ओफिसर(एस.डी.ओ.)
सिरोही

लैण्ड रेकर्ड ऑफिसर
(उपखण्ड अधिकारी)
सिरोही (राज.)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी
सिरोही (राज.)